पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट बदायूँ द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000/- (एक लाख) रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 188,269,270 भादवि बनाम गोविन्द उर्फ गोविन्दा पुत्र रामखिलाडी निवासी मोहल्ला भदवारगंज थाना उझानी जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना उझानी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट बदायूं आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 उमेश थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 30-03-2024 को माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त गोविन्द उर्फ गोविन्दा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 उमेश थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री अतुल सिंह तथा विवेचक उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना उझानी का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।